

## न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 299 / 2015

आरसीएमएस नम्बर : 2015 / 00225

प्रार्थी:-

बनाम

अप्रार्थीगण:-

- विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली, तहसील बाली जिला पाली
- सरपंच ग्राम पंचायत बारवा
- निर्मला / प्रतापराम राजपुरोहित निवासी बारवा, तहसील बाली जिला पाली
- तत्कालीन सरपंच श्री मांगीलाल पुत्र भूरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बारवा, तहसील बाली जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम उपस्थिति -



प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।  
अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से श्री दौलत मकवाना अधिवक्ता उपस्थित।  
अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।

-: निर्णय :-

दिनांक:- 24/11/2020

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, बारवा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 64 दिनांक 05.11.2014 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया एवं पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 ने सरपंच पद पर रहते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत जैर निगरानी पट्टा संख्या 64 दिनांक 05.11.2014 को जारी किया है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 161 में दी गई प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितकरण के प्रावधान है तथा 158 में प्रार्थी के आवास हेतु भूमि नही होने पर ग्राम पंचायत में रियायती दर पर आवेदन करने पर एवं ग्राम पंचायत के पास आबादी भूमि उपलब्ध होने पर प्रार्थी को उक्त नियम के अन्तर्गत ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह-स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी झोंपड़ी / कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, जिन्हे अधिकतम 2700 वर्गफीट तक भू-खण्ड का ही पट्टा जारी किया जा सकता है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 के पास पूर्व से ही रहवासीय मकान है एवं वर्तमान में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पश्चात सरपंच तथा ग्राम सेवक एवं पदेन पट्टा जारी किया गया है, जबकि 31.10.2014 के पश्चात सरपंच तथा ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा पट्टा जारी करने पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी। इस प्रकार विधि विरुद्ध रूप से अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी

किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार करावे तथा जैर निगरानी पट्टा विधि विरुद्ध रूप से जारी करने के कारण खारिज किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि कानून जिस आदेश की पालना में पट्टा जारी किया जाता है, उसे निरस्त किया जाना चाहिये, किन्तु प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी में उस आदेश को उल्लेखित नहीं किया तथा न ही उस आदेश की प्रति निगरानी के साथ पेश की। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 61 के तहत विकास अधिकारी स्वयं अपीलीय न्यायालय है, जिसे निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है। इस कारण भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज योग्य है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 136 (3) के तहत ग्राम पंचायत गोचर भूमि की न्यासी है। प्रार्थी ने अपनी निगरानी में यह जाहिर किया कि पट्टा गोचर भूमि में जारी किया गया है, किन्तु किस खसरा नम्बर की भूमि गोचर की है, जिसमें पट्टा जारी किया गया, यह प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। उक्त भूमि गोचर नहीं है, बल्कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में तहसीलदार बाली के प्रस्ताव पर उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा धारा 92 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम बारवा में स्थित राजकीय सिवायचक भूमि व ग्राम पंचायत की गोचर भूमि को गोचर व ओरण से पृथक कर ग्राम पंचायत बारवा को ग्राम बारवा के आबादी प्रयोजनार्थ आवंटित की गई है। इस प्रकार जैर निगरानी पट्टा आबादी में जारी किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अन्तर्गत तथ्यों को साबित करने का भार उसी पर होता है, जिसके द्वारा तथ्य उठाये गये हैं, किन्तु प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दर्शित तथ्यों को साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। पत्रावली के संलग्न जो जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं, वे स्वयं प्रार्थी द्वारा ही प्रमाणित किये हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्ताव को चलेज्ज नहीं किया है तथा न ही प्रस्ताव को खारिज करने का अनुतोष चाहा है। जब अनुतोष चाहा ही नहीं, तो प्लीडिंग के बाहर अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, बारवा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 64 दिनांक 05.11.2014 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी के विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 3 ने प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की, जिसके बिन्दु संख्या 1 से 4 में यह उन्न उठाया कि "हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा गोचर भूमि में जारी नहीं होकर आबादी भूमि में जारी किया गया है, जो प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा गोचर से पृथक कर आबादी हेतु ग्राम पंचायत बारवा को आवंटित की है। अतः पट्टा गोचर भूमि में न होकर आबादी भूमि में जारी किया गया है।" हस्तगत प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी रूप में यह जांच नहीं की कि उक्त भूमि गोचर है या आबादी? इस तथ्य के निर्धारण हेतु ग्राम पंचायत को पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी तथा इसके अतिरिक्त पंचायती राज नियमों के तहत स्वयं भी जांच करवानी थी, जो नहीं करवाई गई। तथाकथित आबादी का नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया। बिना कब्जे के पट्टा जारी किया गया, जिसकी ताईद पत्रावली पर उपलब्ध कमेटी की जांच रिपोर्ट से होती है। ग्राम पंचायत द्वारा रियायती दर पर/निःशुल्क भू-खण्ड आवंटन करने से पूर्व प्लान का नक्शा बनाकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 142 (1) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि आवंटी का पट्टा किस खसरा नम्बर की भूमि में या किस स्थान पर जारी किया गया है। पट्टे में दर्शाये अडोस-पडोस से भी ज्ञात नहीं होता है कि भू-खण्ड



किस स्थान पर आवंटित किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अपनी विधिक आपत्ति के बिन्दु संख्या 1 से 4 में किया गया उच्च पोषणीय नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी विधिक आपत्ति के बिन्दु संख्या 5 में यह कथन किया कि "अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे कि मिसल में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में से किन किन नियमों की पालना नहीं की गई है। यह स्पष्ट नहीं होने से निगरानी खारिज योग्य है।" राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 की धारा 97 में स्पष्ट वर्णित है कि यह आवश्यक नहीं कि कोई सम्बन्धित व्यक्ति ही निगरानी प्रस्तुत कर सकता है। न्यायालय के संज्ञान में आने पर न्यायालय को स्वयं पूरी प्रक्रिया की वैधता, शुद्धता एवं नियमितता की जांच करने का अधिकार है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत विधिक आपत्ति का बिन्दु संख्या 5 में किया गया उच्च पोषणीय नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी विधिक आपत्ति के बिन्दु संख्या 6 में यह कथन किया कि "कौनसा अप्रार्थी जांच में नियम 157 (2) एवं नियम 158 के तहत निःशुल्क/रियायती दर पर पट्टा प्राप्त करने के लिये अपात्र पाया गया ? तथा बिन्दु संख्या 7 में यह कथन किया कि "किस अप्रार्थी के पास पूर्व में पक्के आवास व भूखण्ड उपलब्ध होना पाया गया ?" यह तथ्य स्पष्ट नहीं होने से निगरानी खारिज योग्य है।" हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध कमेटी की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 1 में ग्राम पंचायत बारवा द्वारा दिनांक 06.08.2014 से 05.11.2014 तक जारी पट्टों की जांच की गई तथा जितने पट्टे जारी किये गये हैं, उनका नियमों के सन्दर्भ में वर्गीकरण भी किया गया है। जिसके तहत नियम 157 (2) के तहत कुल 114 पट्टे एवं शेष पट्टे नियम 158 के तहत जारी किये गये हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (2) के तहत जो पट्टे जारी किये गये हैं, उनमें कब्जा साबित करने हेतु गवाहों के बयान नहीं लिये गये हैं। जिससे 2003 से पूर्व कब्जा व झोपड़ी बनाने का साक्ष्य प्रमाणित नहीं हो रहा है इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत विधिक आपत्ति का बिन्दु संख्या 6 व 7 में किया गया उच्च विधि सम्मत नहीं होने से पोषणीय नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी विधिक आपत्ति के बिन्दु संख्या 8 में यह उच्च किया कि "प्रार्थी स्वयं उक्त पट्टा को निरस्त करने के लिये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 के तहत प्राधिकृत अपीलेंट ऑथिरीटी है। अतः विधि अनुसार प्रार्थी को उक्त पंचायत निगरानी प्रस्तुत करने का लॉकस स्टेण्डाई नहीं है।" राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 61 (1) के तहत पंचायत के आदेश या निर्देश की अपील तीस दिवस के भीतर करने के प्रावधान है तथा धारा 61 (2) के अनुसार अपील की सुनवाई धारा 56 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन गठित पंचायत समिति की स्थायी समिति द्वारा की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 56 (2) के तहत उक्त स्थायी समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है एवं समिति के सदस्य निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य होते हैं। इस प्रकार विकास अधिकारी अपीलीय न्यायालय नहीं होकर पंचायत समिति की स्थायी समिति अपीलेंट ऑथिरीटी है। इस प्रकार विधिक आपत्ति के बिन्दु संख्या 8 में किया गया उच्च विधिक प्रावधान से परे होने के कारण पोषणीय नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी विधिक आपत्ति के बिन्दु संख्या 9 में यह उच्च किया कि "धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी केवलमात्र हितबद्ध पक्षकार ही प्रस्तुत कर सकता है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 163 के उपनियम 3 के तहत ग्राम पंचायत बारवा सभी प्रयोजनों के लिये उक्त भूमि को न्यासी के रूप में धारित करता है। अतः प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार नहीं कहा जा सकता है। प्रार्थी की निगरानी खारिज योग्य है।" राज पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 में यह स्पष्ट



44

प्रावधान दिया गया है कि राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्हीं भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी। जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति निगरानी प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार विधिक आपत्ति के बिन्दु संख्या 9 में किया गया उच्च पोषणीय नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी विधिक आपत्ति में बिन्दु संख्या 10 में यह उच्च किया कि "जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रकट नहीं है कि नियम 158 में रियायती दर पर किन पट्टाधारियों व उनके परिवार के सदस्यों से भेंट चन्दे के रूप में 21,000/- व 31,000/- रुपये की राशि ली गई? सम्पूर्ण जांच प्रतिवेदन केवल मात्र कयासों पर आधारित है। साक्ष्य के रूप में लेसमात्र साक्ष्य जांच प्रतिवेदन के साथ पेश नहीं की गई है। अतः निगरानी निरस्त योग्य है।" पत्रावली पर उपलब्ध कमेटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत कुल 219 पट्टे जारी किये गये हैं। नियम 158 के अनुसार पंचायत, गांव की आबादी में 300 वर्गज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों को, गांव के कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़िया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है और ऐसे बांडग्रस्त को भी जिनके गृह बह गये हैं या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं, रियायती दरों पर आवंटित करने का प्रावधान है। तत्कालीन ग्राम पंचायत ने उक्त नियमों के तहत किसी प्रकार की जांच नहीं की तथा नियम संख्या 10 में प्रस्तुत उच्च विधि समत नही होने से पोषणीय नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी विधिक आपत्ति में बिन्दु संख्या 11 में यह उच्च किया कि "जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रकट नहीं है कि कौनसे 19 पट्टे, किन अन्य गांवों के यानि नजदीकी गांवों के किन व्यक्तियों को भी रियायती दर/निशुल्क जारी किये गये? अतः निगरानी निरस्त योग्य है।" इसी प्रकार बिन्दु संख्या 12 में यह उच्च किया कि "जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रकट नहीं है किन सरकारी कर्मचारीयों के परिवार के सदस्यों के नाम से तथा एक ही परिवार में दो-दो, तीन-तीन पट्टे जारी किये गये हैं? अतः निगरानी निरस्त योग्य है।" प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत बारवा द्वारा ग्राम करणा के 15 व्यक्तियों को पट्टा संख्या 48 से 58, 64 से 66 व 83 एवं ग्राम लुणावा के 3 व्यक्तियों को पट्टा संख्या 43, 59 व 60 तथा इसी प्रकार ग्राम बिसलपुर के 1 व्यक्ति को पट्टा संख्या 44 जारी किया गया है। वैसे भी पट्टे में वर्णित पट्टा धारक के नाम, वल्लिदयत सहित विवरण से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि वह किस स्थान का निवासी है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत विधिक आपत्ति का बिन्दु संख्या 11 एवं 12 आधारहीन होने से पोषणीय नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी विधिक आपत्ति में बिन्दु संख्या 13 से 15 में यह उच्च किया कि "जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 काबिज है तथा लम्बे कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत ने मिसल कायम कर सम्पूर्ण कार्यवाही एवं जांच करने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 2, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाला, भूमिहीन श्रमिक व्यक्ति/महिला होने के कारण धारा 157 (2) व 158 के तहत पात्रता रखने के कारण बाद



अति. जिला कलेक्टर, पाली

जांच विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूमि पर मकानात बने हुए है व बिजली/पानी के कनेक्शन भी लिये हुए है। यदि अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 2 को बेदखल किया जाता है, तो अप्रार्थी संख्या 2 बेघर हो जायेगा तथा उसे सख प्रिज्युडिस होगी। अतः निगरानी निरस्त योग्य है।" जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि पट्टा जारी करने हेतु आवेदक द्वारा कोई आवेदन पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया, न ही बी0पी0एल0 होने का दस्तावेज प्रस्तुत किया है। बिना आवेदन के ही मिसल कायम की गई है। इससे आपत्तिकर्ता के कथन की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया का किसी भी रूप में पालन नहीं किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत विधिक आपत्ति का बिन्दु संख्या 13 से 15 में किया गया उच्च विधि सम्मत नहीं होने से पोषणीय नहीं है।


विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा पत्रावलीवार आक्षेप नहीं कर ग्राम पंचायत बारवा की 333 पत्रावलियों के लिये मात्र एक ही प्रकार की सामान्य प्राथमिक आपत्तियां प्रस्तुत की है, जो विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने तथा मात्र प्रकरण के निस्तारण को विलम्बित करने की प्रकृति की होने से अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति खारिज की जाती है।


प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत बारवा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 64 विनॉक 05.11.2014 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रुपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नहीं किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रुपये जमा करायेंगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अनंतिम विनिश्चय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपूर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान है। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/- रुपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथित को 50 वर्षों के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200/- रुपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोन के अध्यक्षीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है।

अति. जिला क्लेक्टर, पाली

दिसम्बर 2014 व जनवरी 2015 में होने वाले चुनाव करवाये जाने हेतु कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी थी। इस प्रकार दिनांक 24.12.2014 को अधिसूचना जारी हो चुकी थी। शासन उप सचिव (विधि) के आदेश क्रमांक/एफ.13(परावि/विधि/ पट्टा/सामान्य/ 14/1455 दिनांक 01.11.2014 के जरिये दिनांक 31.10.2014 के पश्चात कोई विक्रय विलेख या अन्य किसी प्रकार का कोई पट्टा किसी भी पंचायत के सरपंच/सचिव द्वारा अग्रिम आदेशों तक जारी नहीं करने के आदेश थे, किन्तु तत्कालीन सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए दिनांक 05.11.2014 को जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। पट्टा संख्या 64 दिनांक 05.11.2014 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी किया गया है। नियम 157 में पुराने गृहों के विनियमितकरण के प्रावधान है तथा नियम 158 में भूमियों का कमजोर वर्ग के व्यक्ति, जिनके पास पूर्व में गृह नहीं है, उन्हें उक्त नियम के तहत पट्टा जारी करने के प्रावधान है। जैर निगरानी पट्टे की मिसल के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा किसी भी रूप में इस तथ्य का परीक्षण नहीं किया गया कि अप्रार्थी संख्या 2 किस रूप में कमजोर वर्ग में शुमार है, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध कमेटी की जांच रिपोर्ट में यह पाया है कि यह परिवार रियायती/निःशुल्क भूखण्ड प्राप्त करने हेतु पात्र ही नहीं थे। निगरानी के संलग्न मिसल की सभी आदेशिका में कोई दिनांक अंकित नहीं है, सरपंच के हस्ताक्षर ही नहीं है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत बारवा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में मिसल संख्या 293/2014-15, संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.11.2014 एवं जारी पट्टा संख्या 64 दिनांक 05.11.2014 को निरस्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बारवा को भिजवाई जावे।



  
(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)  
अति. जिला कलेक्टर, पाली  
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 24/11/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)  
अति. जिला कलेक्टर, पाली  
अति. जिला कलेक्टर, पाली